राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

श्रमिक ठेके हेतु अल्पकालीन ई–निविदा प्रपत्र

निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक **25.05.2018 मध्यान्ह पश्चात् 01:00 बजे तक**

निविदा खोलने की दिनांक **25.05.2018 मध्यान्ह पश्चात् 03:00 बजे**

अनुक्रमणिका

क्र. सं	विवरण	पेज.नं.
1.	निविदा आमंत्रण सूचना	03
	भाग–अ	
2.	अनुभाग.1 निविदादाता हेतु दिशा निर्देश	05
3.	अनुभाग.2 ठेके हेतु सामान्य नियम व शर्तें	06–09
4.	अनुभाग.3 निविदा प्रपत्र	10–11
5.	संलग्नकों की चैक लिस्ट	12
	भाग–ब	
6.	श्रमिक कार्यों हेतु निर्धारित बी.एस.आर.	14–18
	भाग–स	
7.	इकाईयों के नाम व पते	20 – 21

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

No. F3/विधायन/2018/ 4931 दिनांक 10.05.18

अल्पकालीन –निविदा सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 हेतु न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले श्रमिक ठेकेदारों से श्रमिक कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई– निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं	इकाई का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाखों में)	अमानत राशि (रू. लाखों में)	निविदा शुल्क	ई–निविदा हेतु प्रोसेसिंग शुल्क
क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर					
1.	चित्तौड़गढ	120.00	2.40	1770	1000
2.	उदयपुर	85.00	1.70	1770	1000
क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीगंगानगर					
3.	हनुमानगढ़	180.00	3.60	1770	1000
क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर					
4	भरतपुर	55.00	1.10	1770	1000
5	अलवर	10.00	0.20	1770	1000
6	हिण्डौन	15.00	0.30	1770	1000
क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा					
7	कोटा	88.00	1.76	1770	1000
8.	बांरा	98.00	1.96	1770	1000
क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्गापुरा					
9.	ढिंढोल (बस्सी)	21.00	0.42	1770	1000

1. यह निविदा राज्य सरकार की ई–निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र इस वेबसाईट, SPP Portal राजस्थान सरकार www.sppp.rajasthan.gov.in, निगम वेबसाईट www.rajseeds.org एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए ई–निविदा प्रपत्र इस वेबसाईट पर दिनांक 25.05.2018 मध्यान्ह पश्चात् 01:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। अमानत राशि व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड–ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड–ड्राफ्ट RISL के नाम बनवाया जाना अनिवार्य है एवं यह डिमाण्ड–ड्राफ्ट संबंधित इकाई पर दिनांक 25.05.2018 को प्रातः 11:00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई–निविदाओं की तकनीकि निविदा दिनांक 25.05.2018 मध्यान्ह पश्चात् 03:00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तिय निविदा खोली जावेगी एवं इस हेतु तिथि एवं समय बाद में निर्धारित की जावेगी।
2. तकनीकी एवं वित्तिय निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
3. निर्धारित अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. प्रत्येक इकाई के श्रमिक ठेके हेतु पृथक–2 निविदा प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
5. उक्त ई–निविदायें केवल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
6. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आशिंक रूप से निरस्त करने का अधिकार आर.एस.एस.सी. का होगा।

(हस्ताक्षर)

प्रबन्ध निदेशक

भाग—अ

अनुभाग–1

निविदादाता हेतु दिशा–निर्देश

1. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र का पूर्णतः अध्ययन कर भरा जावें जिससे यह समझा जावे कि आप द्वारा निविदा की सभी नियम व शर्ते मान्य हैं।
2. निविदा प्रपत्र के भाग–अ के अनुभाग–3 के अनुरूप निविदा भरी जावे। निविदादाता द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कांट छांट मान्य नहीं होगी। यदि कांट छांट की जाती है तो संबंधित निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील के साथ ही मान्य होगी। यदि कांट छांट पर हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर पूर्ण निविदा निरस्त समझी जावेगी।
4. टेंडर में सभी वैधानिक औपचारिकताऐं जैसे GST, आयकर, प्रोविडेंट फण्ड एवं ई.एस.आई. (यदि लागू हो) के रजिस्ट्रेशन को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
5. अमानत राशि व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड–ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड–ड्राफ्ट RISL के नाम बनवाकर निर्धारित समय तक संबंधित इकाई पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
6. उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधी के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा तिथि के दिन निर्धारित समय पर केवल तकनीकि निविदा ही खोली जावेगी।
7. *निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा सात दिवस में अनुबन्ध की कुल लागत का 0.25 प्रतिशत या अधिकतम 15000/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शर्तों का अनुबंध–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदा में दी गई दरें ही मान्य होगी जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
9. तकनीकि निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
10. असफल निविदादाताओं की जमा अमानत राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी व सफल निविदादाता की जमा अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित कर ली जावेगी।
11. यह निविदा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार एवं www.eproc.rajasthan.gov.in द्वारा ई–निविदा हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं चैक लिस्ट में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही भरी एवं अपलोड की जावे।

अनुभाग–2

श्रमिक ठेके के नियम व शर्तें

1. श्रमिक ठेका वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लिये मान्य होगा ।
2. अमानत राशि व निविदा शुल्क का ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. के नाम से एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड–ड्राफ्ट RISL के नाम बनवाकर निर्धारित समय तक संबंधित इकाई पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
3. किसी भी क्षति के लिये ठेकेदार स्वय जिम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार या उसके मजदूरों की गलती से निगम को कोई हानि पहुंचती है तो ठेकेदार के भुगतान में से राशि वसूल कर ली जायेगी ।
4. ठेके के सभी कार्य निगम कार्यालय के प्रतिनिधि के निर्देशों के अनुसार करना होगा।
5. ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को या लघु ठेका नहीं देगा ।
6. फसल की किस्म बदलने पर मशीन की सफाई ठेकेदार को करनी होगी ।
7. टैग, लेबल एवं थैलियों पर मोहर लगाने के लिये एवं कट्टों पर मार्का लगाने के लिये ठेकेदार को पढे लिखे व्यक्ति रखने होगें तथा सीजन अवधि में स्थाई व्यक्ति रखने होगें। ठेकेदार द्वारा यह कार्य करवाने में असमर्थ होने पर निगम कार्यालय की ओर से उचित श्रमिक रखे जायेगें जिसकी मजदूरी ठेकेदार को देनी होगी।
8. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं दिया जायेगा। बिल का भुगतान केवल 'एकाउन्ट पेई' चैक/ आर.टी.जी.एस द्वारा ही किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा।
9. ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक बीज विधायन केन्द्र पर श्रमिक आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें । श्रमिकों की कमी होने पर अन्य श्रमिकों से कार्य करवा लिया जायेगा जिसकी मजदूरी का भुगतान ठेकेदार को करना होगा ।
10. श्रमिक ठेकेदार द्वारा बीजों के हैण्डलिंग का कार्य सम्पूर्ण निगम परिसर व किराये के गोदाम में किया जायेगा।
11. श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने की तिथि से 15 दिवस में Workmen Compensation Policy किसी इनश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर उसकी प्रति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ताकि किसी दुर्घटना के कारित होने पर समस्त उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
12. निगम द्वारा ठेकेदार को विधायन कार्य शुरू होने से पूर्व कट्टों एवं थैलियों की सिलाई हेतु बैगक्लोजर उपलब्ध करवाये जायेगें तथा इस कार्य के लिये ठेकेदार द्वारा कुशल एवं अनुभवी श्रमिक उपलब्ध करवाने होगें ।
13. फ्यूमीगेशन कार्य हेतु फ्यूमीगेशन कवर, स्प्रे, पम्प, दवाई, निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें। ठेकेदार द्वारा फ्यूमीगेशन कवर एवं अन्य उपकरण फ्यूमीगेशन के पश्चात् सही तरह से पैक करके रखने होगें ।
14. विधायन कार्य के समय संयंत्र परिसर में गोदामों की नियमित सफाई श्रमिक ठेकेदार करवायेगा एवं इस कार्य के लिए अलग से मज़दूरी नहीं दी जावेगी तथापि शेष समयावधि में भी गोदामों एवं संयंत्र परिसर की नियमित साफ–सफाई की समस्त जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं इस कार्य हेतु प्रयुक्त वास्तविक मजदूरी बी.एस.आर. आईटम न. 12 के अनुसार देय होगी।
15. गोदामों में रॉ बीज स्टैक से उठाकर ले जाने के पश्चात् स्टैक स्थल पर पूर्ण सफाई कर बिखरा हुआ बीज बोरियों में भरकर ग्रेडिंग स्थल/निर्दिष्ट स्थान पर ठेकेदार द्वारा ही पहुँचाना होगा । इसके लिये ठेकेदार को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा । गोदामों में कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि गोदामों में बीज कम से कम बिखरे एवं गोदाम हमेशा साफ रहे ।

16. बीज के कट्टों की समस्त प्रकार की हैण्डलिंग के समय हुक का प्रयोग नहीं किया जायेगा । बोरियों व कट्टों पर हुक का प्रयोग निषेध है । श्रमिक ठेकेदार द्वारा 100 रू. के स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह भी उल्लेखित हो कि अवहेलना की स्थिति में जमा अमानत एवं धरोहर राशि जब्त कर काली सूचीबद्ध करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी। अगर हुक का प्रयोग करने से कट्टों/बोरियों का या बीज का नुकसान होता है तो उस राशि का नुकसान ठेकेदार को वहन करना होगा ।
17. तोल कांटों, बीज उपचारित मशीनों, बैग क्लोजर एवं अन्य मशीनों को साफ रखना व सम्पूर्ण कार्य समाप्ति पर निगम के निगम के बीज अधिकारी को संभलाकर रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा।
18. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के समय ही अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. के नाम डी.डी. के द्वारा जमा करवानी होगी, जिसे अनुबंध की समाप्ति के पश्चात् संतोषजनक कार्य होने पर लौटाया जावेगा। निविदा में जमा करवाई गई अमानत राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि के रूप में कर लिया जावेगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
19. ठेकेदार द्वारा स्टैक लगाकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसी दिन गिनती करवानी होगी ।
20. निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी विभिन्न कार्यों की मात्रा सांकेतिक है जिसमें परिस्थितियों अनुसार परिवर्तन हो सकता है ।
21. निविदा की निर्धारित अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि के अभाव में निविदा निरस्त मानी जायेगी ।
22. ठेकेदार को आवश्यकता पडने पर एक से अधिक पारी में विधायन एवं पैकिंग कार्य के लिये पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध करवाने होगें ।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
24. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई. (यदि लागू हो) आदि की राशि संबंधित कार्यालय में जमा करवानी होगी जिसकी रसीद की प्रति संबंधित इकाई को प्रस्तुत करनी होगी ।
25. श्रमिक कार्य करते समय दुर्घटनावश किसी श्रमिक को हुई समस्त प्रकार की शारीरिक क्षति कि स्थिति में क्षति पूर्ति का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदारों का होगा। अतः यह अपेक्षित है कि ठेकेदार योग्य श्रमिकों को ही कार्य पर लगावें।
26. निविदा अवधि के दौरान किसी भी तरह से दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।
27. ठेकेदार द्वारा संयंत्र के सुचारू संचालन एवं रख रखाव हेतु कुशल श्रमिक/आपरेटर/फोरमैन भी उपलब्ध कराना होगा जो कि प्लान्ट संचालन का कार्य दक्षता से कर सके । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर देय होगी ।
28. निविदा में दी गई दरों में समस्त प्रकार के कर एवं अधिभार आदि सम्मिलित होगें एवं किसी प्रकार के कर हेतु अलग से भुगतान देय नहीं होगा। अनुबंध की अवधि में केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित समस्त करों के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार फर्म की होगी।
29. G.S.T (जो भी नियमानुसार लागू हो।) का भुगतान अथवा कटौती निगम द्वारा तत्समय लागू कानून एवं नियमों के अनुसार की जावेगी तथापि समस्त करों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं निगम इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
30. निविदादाता के पास पी.एफ.कोड, ई.एस.आई पंजीयन (यदि लागू हो), जी.एस.टी का पंजियन होना आवश्यक है। श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 के धारा–12 (2) के अंतर्गत लाइसेन्स कार्यादेश के 30 दिन तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा व Workman compensation policy कार्यादेश के 15 दिन में पंजीयन करवाकर पंजीयन की प्रति उपलब्ध कराना होगा । इसके अभाव में कोई भुगतान नहीं होगा।
31. *निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार द्वारा सात दिवस में अनुबन्ध की कुल लागत का 0.25 प्रतिशत या अधिकतम 15000/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शर्तों का अनुबंध–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

32. क्रॉप कलैण्डर (छायाप्रति संलग्न) अनुसार संयंत्र प्रभारी द्वारा आवंटित समस्त कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रति सप्ताह या सप्ताह के अंश पर 3000 रू० शास्ति भुगतान में से काटी जावेगी। यदि यह देरी अपरिहार्य कारणों से होती है जिसमें श्रमिक ठेकेदार का कोई दोष नहीं है ऐसी दशा में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक कारणों के विवेचन के उपरान्त शास्ति माफ कर सकते हैं।

33. ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ 100/– रू० के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है एवं इस प्रकार के किसी भी प्रकरण में किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।

34. बीज विधायन के समस्त कार्यों के समय ठेकेदार अथवा उनका सुपरवाइजर पूर्णकालिक रूप से विधायन संयंत्र पर उपस्थित रह कर कार्य सम्पादित करवाएगा एवं इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।

35. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के (आर.टी.पी.पी. एक्ट) प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव (कृषि), राजस्थान सरकार होगें एवं द्वितीय अपील अधिकारी वित्त विभाग राजस्थान सरकार होगा।

36. यदि इकाई की आवश्यकतानुसार रॉ बीज लेने व क्रय करने हेतु केंद्र खोले जाते है, तो इन केंद्रों के लिए संबंधित ठेकेदार को संबंधित इकाई को अनुमोदित दर पर ही श्रमिक उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

37. यदि किसी फर्म द्वारा निविदा में अनुमानित लागत से कम दर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदादाता को निविदा की अनुमानित लागत से अंतर राशि की बैंक गारंटी (परफॉर्मेन्स गारंटी के रूप में) देनी होगी।

38. श्रमिक कार्य ठेके के नियम व शर्तो के अनुरूप संपादित नहीं करने की स्थिति में जमा अमानत राशि, प्रतिभूति राशि, परफॉर्मेंस बैंक गारण्टी एवं अन्य लंबित भुगतान आदि समस्त राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जावेगी।

39. * ठेके में दरें नियमानुसार जी.एस.टी. को बिना सम्मिलित करते हुए दी जावेगी तथा जीएसटी नियमानुसार जो भी लागू हो, वह अलग देय होगा। जीएसटी को पृथक से बिल में दर्शाया जाना होगा।

40. * श्रमिक ठेकेदार को बिलों का पिछले माह का पी.एफ, जी.एस.टी व इ.एस.आई. राशि जमा के चालान की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के पश्चात् ही अगले माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

41. * श्रमिक बीएसआर के बिन्दू संख्या–12 मे सरकारी दरों पर कार्य करवाने पर यदि बिल में पी.एफ. व ई.एस.आई. राशि का पृथक से उल्लेख करने पर उक्त राशि का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा। श्रमिक को भुगतान राजस्थान सरकार श्रम विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5 (6) न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/11254 दिनांक 07.07.2017 के अनुसार किया जावेगा। उक्त के संशोधन होने की स्थिति में संशोधित दरों के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

42. * यदि रॉ बीज केम्प लगाकर बाहर उत्पादन क्षेत्र से विधायन केन्द्र तक ले जाना है तो श्रमिक ठेकेदार को आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होगें।

43. यदि निगम को आवश्यकता हुई तो निविदादाता की अनुबन्ध अवधि आगामी तीन माह तक श्रमिक कार्य करने के लिए बढाई जा सकेगी, जिसके लिए निविदादाता बाध्य होगा।

44. * विधायन कार्य हेतु परिसर के बाहर से रॉ बीज विधायन संयंत्र पर लाना एवं विधायित बीज को पुनः परिसर से बाहर ले जाने की दर यदि दूरी के अनुसार निर्धारित बीएसआर से कम होती है तो सरकारी/सरकारी उपक्रम द्वारा स्वीकृत दरों पर स्थानीय परिवहन के अनुसार भुगतान किया जायेगा व इकाई से 8 कि.मी तक भण्डारित बीज की दर जो बीएसआर में विधायन हेतु अंकित है, उसी अनुरूप दी जावेगी।

मैंने/हमने उपरोक्त निविदा की सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

अनुभाग–3

निविदा–प्रपत्र

सेवा में,

....

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

....

विषयः– श्रमिक ठेके हेतु निविदा वर्ष ....

महोदय,

1. निविदा दाता का नाम ....
2. पूर्ण पता ....
3. टेलीफोन नम्बर निवास......................मोबाइल न0..................
4. निविदा शुल्क ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... राशि .... बैंक का नाम..
5. ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... राशि .... बैंक का नाम..
6. अमानत राशि का विवरण ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक ....राशि .... बैंक का नाम..
7. GST रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
8. भविष्य निधि विभाग कोड क्रमांक ....
9. पेन नम्बर ....

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी नियम व शर्तो एवं निर्धारित बी.एस.आर. का अध्ययन कर लिया गया है और मैं निविदा की सभी नियम व शर्तो से सहमत हूँ ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

पूर्ण पता एवं सील

परिशिष्ट अ

अनुभाग–3 (1)

तकनीकि निविदा हेतु प्रपत्र

सेवा में,

....

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

....

1. अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (ड्राफ्ट संलग्न)..............................
   ....
2. श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के धारा–12 (1)/ 12 (2) के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र कार्य आदेश के 1 माह तक प्रस्तुत करने का शपथ पत्र संलग्न करें .....
3. भविष्य निधि विभाग में पंजीयन, GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र, ई.एस.आई. पंजीयन (यदि लागू हो) प्रमाण–पत्र संलग्न करें .... ।
4. 100 रू. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचिबद्ध नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई वाद लम्बित है।)..
   .... ।
5. विगत दो वर्ष का राजकीय अथवा अन्य फर्मों / संस्थाओं में किये गये श्रमिक कार्यों का कार्य अनुभव (प्रमाण–पत्र संलग्न करें।)

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन
तकनीकि निविदा हेतु संलग्नलकों की चैक लिस्ट

क्र.सं.	आईटम	जमा करवाने की प्रक्रिया	
1	अमानत राशि, निविदा शुल्क एवं ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट	निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित इकाई कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।	{ }
2	100 रू. के नॉन–ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।(श्रम अधिनियम 1970 धारा–12 (1)/ 12 (2) के तहत् लाइसेन्स कार्य आदेश के 1 माह तक प्रस्तुत करने हेतु)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
3	GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
4	भविष्य निधि विभाग कोड क्रमांक	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
5	पेन नंबर	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
6	ई.एस.आई. पंजीयन (यदि लागू हो)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
7	100 रू. के नॉन–ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचिबद्ध नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई वाद लम्बित है।)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }
8	पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मोहर एवं हस्ताक्षर हो।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे।	{ }

नोटः– उपरोक्तानुसार दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

हस्ताक्षर मय सील निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

भाग—ब

श्रमिक बी.एस.आर. राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर (2018)

क.सं.	कार्य का नाम	युनिट	बी.एस.आर. दर
1.	रॉ बीज का हैण्डलिंग :–		
	बीज उत्पादकों से प्राप्त रॉ बीज को निगम परिसर में ट्रक/ट्रोली से अनलोड करना,निर्दिष्ट स्थान पर केट बिछाना,बोरियों को केट पर स्टेक में जमाना,बोरिया पर लोट नं. लिखना इत्यादि कार्य		
	अ) तौलकर एवं छलना लगाकर (तलपट)	क्विंटल	13.50
	ब) केवल तौलकर एवं बिना छलना लगाकर	क्विंटल	7.43
	स) केवल बिना तौलकर एवं बिना छलना लगाकर	क्विंटल	6.75
	द) धर्मकांटे से तौलकर (जिस इकाई पर धर्मकांटे से तोल की सुविधा नहीं हो)	क्विंटल	8.00
2	विधायन एवं पैकिंग कार्य :–		
	अ) रॉ बीज की बोरियों को निगम परिसर में स्थित किसी भी गोदाम से लॉट नम्बर वाइज उठाना,विधायन मशीन पर लाना, मशीन से बीज को विधायन करना,विधायित बीज को 20, 30,40 व 60 किग्रा. कट्टो/बोरियों में पैक करना, आवश्यकता पडने पर दवाई की पुडिया तैयार कर कट्टो/बोरियों में डालना,टैग/लेबल तैयार करना व बोरियों/कट्टो पर सिलाई करना,सील लगाना तैयार बीज की बोरियों/कट्टो को प्लान्ट परिधि में स्थित किसी भी गोदाम में निर्दिष्ट स्थान पर केट बिछाकर स्टेक लगाना, खाली बोरियों/कट्टों के 50–50 के बण्डल बनाना तथा प्लान्ट पर निर्दिष्ट स्थान पर रखना। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायन के लिये बीज को विधायित बीज तथा अण्डर साईज को पुनः गोदाम में ले जाने के लिए अलग से लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन अलग से देय नही होगा। रॉ बीज का स्टेक उठाने के बाद केटस को निदिष्ट स्थान पर रखना व बिखरे बीज को बोरियो में भरकर उस स्थान एवं मशीन की सफाई करना सम्मिलित है।	क्विंटल	24.30
	ब) परिसर के बाहर से रॉ बीज विधायन संयत्र पर लाना मय लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन तथा शेष कार्य बिन्दू 'अ' के अनुसार।	क्विंटल	32.40
	स) बिन्दु 'ब' के अतिरिक्त विधायित बीज को परिसर से बाहर गोदाम में ले जाना मय परिवहन एवं लोडिंग/अनलोडिंग।	क्विंटल	40.50
	द) बीज पुनः विधायन एवं पैकिंग कार्य :बीजों के कट्टों/बोरियों को पुनः विधायन हेतु निगम परिसर में स्थित गोदाम से हटाकर विधायन मशीन पर लाना, मुंह खोलना,टैग हटाना,दवाई की पुड़िया निकालना तथा शेष कार्य 2 'अ' के अनुसार	क्विंटल	24.30
	य) निगम परिसर में स्थित गोदाम से सोयबीन रॉ बीज की बोरियों को लॉट वाइज उठाना,बोरी का मुंह खोलकर सीधे ही मजदूरो की सहायता से विधायन मशीन/ फीडर में डालना तथा शेष कार्य 2 अ के अनुसार। इस कार्य में आवश्यकता पड़ने पर कट्टों में दवाई की पुडिया बनाकर कट्टों में रखने का कार्य सम्मिलित है।	क्विंटल	24.30
	र) बिन्दु सं० 2 'अ' 'ब' एवं 'स' में यदि बीज 60 किग्रा (अथवा निर्देशित अन्य मात्रा) की बल्क पैकिंग में रखा जाता है तो निम्नानुसार दरें होगी : (* यदि बल्क पैकिंग मे पुराने बारदाने का उपयोग किये जाने पर पुराने बारदाने को पलट कर बीज पैक करावने की स्थिति मे प्रचलित दरों में एक रूपया प्रति क्वि. अधिक दिया जावेगा।)		
	(1) 2 'अ'	प्रति क्विंटल	17.55
	(2) 2 'ब'	प्रति क्विंटल	25.65
	(3) 2 'स'	प्रति क्विंटल	33.75

3.	**बीज पैंकिग कार्य :-** बीज पैकिंग के लिये निगम परिसर में स्थित गोदाम से कट्टों को लॉटवाईज उठाकर पैकिंग स्थल पर लाना,त्रिपाल बिछाकर ढेरी करना,थैलियों/कट्टों पर बीज प्रमाणीकरण की सूचना की मार्किंग करना,बीज भरना,तौलना,पपंलेट डालना टैग/ लैबल तैयार करना व थैलियों/कट्टों पर लगाकर सिलाई करना,सील लगाना,लैड सीड को धागें में पिरोकर गाँठ लगाकर प्लायर से दबाना,थैलियों को पुनः बोरियों/कट्टों में भरना गोदाम में लॉट वाईज, क्रेट बिछाकर स्टेक लगाना,खाली कट्टों/बोरियों के 50-50 के बंडल बनाना तथा प्लान्ट पर निर्दिष्ट स्थान पर रखना। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि बोरियों/कट्टों को गोदाम में स्टेक करने के लिए अलग से लोडिंग/ अनलोडिंग/परिवहन देय नही होगा। पैकिंग से पूर्व स्टैक हटने पर एवं पैकिंग के बाद सफाई कर बिखरे बीज को भरकर तौलकर निर्दिष्ट स्थान पर रखना एवं क्रेट्स को निर्दिष्ट स्थान पर रखना सम्मिलित है।		
	अ) बिना बीज उपचार के परन्तु दवाई की पुड़िया बनाकर थैलियों/कट्टों में रखने का कार्य सम्मिलित है।		
	1. 1 किग्रा तक	क्विंटल	54.00
	2. 1 किग्रा. से अधिक 3 किग्रा. तक	क्विंटल	47.25
	3. 3 किग्रा. से अधिक 6 किग्रा. तक	क्विंटल	40.50
	4. 6 किग्रा. से अधिक 20 किग्रा. तक	क्विंटल	27.00
	5. 20 किग्रा. से अधिक	क्विंटल	13.50
	ब) दवाई का घोल बनाकर बीज को उपचारित करके		
	1. 1 किग्रा तक	क्विंटल	60.75
	2. 1 किग्रा. से अधिक 3 किग्रा. तक	क्विंटल	54.00
	3. 3 किग्रा. से अधिक 6 किग्रा. तक	क्विंटल	47.25
	4. 6 किग्रा. से अधिक 20 किग्रा. तक	क्विंटल	33.75
	5. 20 किग्रा. से अधिक.	क्विंटल	20.25
	स)ग्रेडेड बीज कट्टो/बोरियों को स्टेक से लॉटवाइज उतारकर उन पर टैग लेबल तैयार कर सिलाई करना, लैड सील लगाना एवं वापस निर्देशित स्थान पर निगम परिसर में स्थित गोदाम में स्टेक लगाना। गोदाम में स्टेक करने के लिए अलग से लोडिंग/अनलोडिंग परिवहन देय नहीं होगा।	क्विंटल	8.10
4.	मिनिकिट्स/प्रदर्शन के लिये किट्स तैयार करने हेतु निगम परिसर में स्थित गोदाम से बीज की बोरियों/कट्टों को लोटवाईज उठाकर पैकिंग स्थल पर लाना,थैलियों/कट्टों/बोरियों से टैग/लेबल हटाना,सिलाई खोलना,, सील हटाना एवं शेष कार्य बिंदु स. 3 के अनुसार।		
	1. 1 किग्रा तक	क्विंटल	54.00
	2. 1 किग्रा. से 3 किग्रा तक	क्विंटल	47.25
	3. 3 किग्रा. से 6 किग्रा. तक	क्विंटल	40.50
	4. 6 किग्रा. से 20 किग्रा. तक	क्विंटल	27.00
	5. 20 किग्रा. से अधिक	क्विंटल	13.50

5.	निगम परिसर में स्थित एक गोदाम से दूसरे गोदाम में रॉ बीज की बोरियां/पैक्ड थैलियों की बोरियों/कट्टों को लॉटवाईज उठाकर केट बिछाकर स्टेक लगाना।इस आईटम में जगह के अभाव में या अन्य कारणवश बोरियों/कट्टों को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या उसी गोदाम में शिफ्ट करने का कार्य शामिल है। विधायन के लिये अथवा विधायन के पश्चात बोरियों के स्थानान्तरण का कार्य उसमें शामिल नहीं है।स्टैक हटाने के बाद एवं लगाने से पूर्व उस स्थान की सफाई कार्य सम्मिलित है। मय लोडिग अनलोडिंग एव परिवहन व्यय।		
अ	एक गोदाम के अंदर	क्विंटल	3.00
ब	परिसर में स्थित एक गोदाम से दूसरे गोदाम में	क्विंटल	7.00
स	परिसर में स्थित एक गोदाम से परिसर के बाहर स्थित गोदाम में अथवा इसके उलट् परिस्थिति में ।	क्विंटल	15.00
6.	वुडन/स्टील केटस का एक गोदाम से दूसरे गोदाम में शिफिटंग का कार्य	प्रति नग	2.70
7.	निगम परिसर में स्थित गोदाम में बाहर से प्राप्त विधायन सामग्री की लोडिंग/अनलोडिंग करना या प्लान्ट से बाहर भेजने हेतु विधायन सामग्री की लोडिंग /अनलोडिंग करना एवं निर्देशिष्ट स्थान पर जमाके रखना		
	1. 25 किग्रा तक	प्रति नग	2.70
	2. 26 से 50 किलो तक	प्रति नग	4.73
	3. 51 से 100 किलो तक	प्रति नग	6.75
	4. 100 किग्रा से अधिक	प्रति नग	13.50
8	विधायित बीज के कट्टों/बोरियों को गोदाम में स्टेक से लॉट वाईज छांटकर,उठाकर ढेरी करना,खरपतवार बीज व अन्य किस्मों के बीजों की बिनाई करना एवं निदेशानुसार पुनः बोरियों/कट्टों में भरकर तुलाई करना एवं निर्दिष्ट स्थान पर स्टैग लगाना।	क्विंटल	54.00

9	पुनः प्रमाणीकरण का विवरण :-		
	1. पुन प्रमाणीकरण हेतु स्टेक तोड़कर, लॉटवाईज छॉटना गिनती करवाना,लॉटवाईज सैम्पल लेना,सैम्पल लेने के बाद लॉटवाइज पुनः स्टेक करना।	क्विंटल	5.40
	2. (अ) पुनः प्रमाणीकरण हेतु पास मात्रा व फैल मात्रा को छॅाटना,पास मात्रा के लॉटवाईज थैले भरना व थैलियों पर स्पष्ट प्रमाणीकरण मोहर लगाना,मोहर लगाने के पश्चात् बोरियों में भरना तथा कटों/ बोरियों को पुनः लॉटवाईज स्टेक लगाना। (10 किग्रा तक पैकिंग हेतु)	क्विंटल	9.45
	(ब) पुनः प्रमाणीकरण हेतु पास मात्रा व फैल मात्रा को छॅाटना,पास मात्रा के लॉटवाईज थैले भरना व थैलियों पर स्पष्ट प्रमाणीकरण मोहर लगाना,मोहर लगाने के पश्चात् बोरियों में भरना तथा कटों/ बोरियों को पुनः लॉटवाईज स्टेक लगाना। फैल लॉट छाटकर एवं टेग उतारकर संबंधित संयंत्र प्रबंधक को संभलाना होगा। (10 किग्रा से अधिक पैकिंग हेतु)	क्विंटल	5.40
*10.	बीजों के स्टेक पर फयुमिगेशन कॅवर चढाना,दवाई डालना,कॅवर को चारों तरफ से मिट्टी से दबाना एवं इसके बाद कॅवर को उतारना,सही समेटना,सही खोलना तथा गोदाम से मिट्टी की सफाई करना। आवश्यकतानुसार रेत की थैलिया तैयार करना का कार्य शामिल है। इसके लिए अलग से भुगतान नही किया जायेगा थैलिया एवं रेत निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी	प्रति कवर	250.00
11.	दवाई का घोल बनाना एवं गोदाम में स्प्रे करना। (न्यूनतम 200 रू. प्रति गोदाम देय होगा।)	प्रति वर्ग मी.	0.34
12	विधायन केन्द्र पर अन्य कार्यो हेतु अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल दैनिक श्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर उपलब्ध करवाना।		सरकारी दर अनुसार

*13.	पैक्ड बीजों के कट्टों/बोरियों को निगम परिसर में स्थित गोदामों से विपणन या भण्डारण हेतु किराये के गोदाम में स्थानान्तरण करना जो प्लान्ट परिधि से बाहर है। ट्रक द्वारा बाहर के गोदाम से प्लान्ट पर कट्टों/बोरियों के स्थानान्तरण के लिये भी यही दरें प्रभावी होगी।(मय परिवहन लोड़िग/अनलोड़िग)	क्विंटल	15.00
14.	पैक्ड बीजों के कट्टों /बोरियों को ट्रक/ट्रोली मे लोडिग/अनलोडिग का कार्य अथवां निगम गोदाम या अन्य किराये के गोदामों मे रखे अण्डरसाईज बीज को उत्पादको की ट्राली/ट्रक में लोड़िग करना,साथ में सम्बन्धित बीज उत्पादकों की खाली बोरियो के बण्डल भी लोड करना।	क्विंटल	6.08
15.	निगम परिसर पर स्थित गोदाम से बीज/अन्य सामान को रेलवे स्टेशन/कृषि विभाग /ट्रान्सपोर्ट कम्पनी से बीज/विधायन सामाग्री को प्लान्ट पर स्थित गोदाम तक परिवहन करना लोडिग एवं अनलोडिंग सहित।	क्विंटल	15.00
16.	आवश्यकता पडनें पर बीज की पैकिग पर विक्रय मूल्य या अन्य परियोजना की मोहर लगाना।	प्रति बेग/थैली	0.34
17.	**अमानक बीजों की नीलामी के संबंध में**		
	अ) पैक्ड बीज के कट्टों से टेग व लेबल उतारकर संयंत्र प्रबंधक को संभलवाना एवं कट्टों पर क्रॉस का निशान लगाकर बण्डल बनाकर रखना।	क्वि.	5.40
	ब) पैक्ड बीज के कट्टों को खोलकर, नीलामीयुक्त बीज को निविदादाता के बैगों में भरकर, वाहन में रखवाना।	क्वि.	11.00
18.	**मूंगफली बीज का विधायन एवं पैकिंग कार्य–**		
	1. रॉ बीज की बोरियों को प्लाण्ट परिधि में स्थित गोदाम से लॉटवाईज उठाना,मशीन/हाथ से बीज की ग्रेडिंग करना,10से 30 किग्रा. की पैकिग में भरना,बैग्स पर मार्किग करना,टैग/लेबल तैयार करना व बैग की सिलाई करना,सील लगाना तथा पुनः कट्टों/बोरियों को गोदाम में लॉटवाईज स्टेक लगाना। अण्डर साईज बीज को बोरियों में भरना,मार्किग करना तथा लॉटवाईज निर्धारित स्थान पर स्टेक लगाना। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायन हेतु रॉ बीज को प्लाण्ट पर लाना एवं विधायित बीज एवं अण्डरसाईज को पुनः गोदाम मे स्टेक लगाने के लिए अलग से लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन देय नहीं होगा।		
	अ) मशीन से ग्रेडिंग व हैण्ड पिकिंग	क्विंटल	67.50
	ब) हाथ से ग्रेडिंग	क्विंटल	108.00
	2– मूँगफली प्रमाणित एवं आधार सीड्स का परिणाम आने के पश्चात निश्चित पैकिंग 10–20–30 किलों को करना,दवाई की पुड़िया व लीफ लैटस डालना,टैग व लेबल तैयार करना,सिलाई करवाना,लैड सील लगाना,मार्का लगाना,तथा स्टैग लगाना व गिनती कराना।	क्विंटल	27.00
	कपास बीज का विधायन एवं पैकिग कार्य–		
19.	कपास बीज को निगम के फार्मस के स्टोर में से निकालकर पल्लियों में बांध कर एक–एक कर के कॉटे पर तोलना,ट्रक/ट्रॅाली मे लोड करना तथा निर्धारित स्थान पर ले जाकर अनलोड करना (आवश्यकता पड़ने पर कांटें पर तोलना) दड़ा बनाना तथा दड़ा ठीक करके तिरपालों से ढ़कना	क्विंटल	27.00
20.	बीज उत्पादकों से प्राप्त रॉ कपास बीज को ट्रक/ट्राली से उतारना,पल्लियों में बांधकर तोलना,तुले हुए कपास को दड़े में डालना,तंगडी लगाना तथा उतारना,बिखरे हुए कपास को दड़े में डालना तथा दड़े में डालना तथा दड़े को सही ढ़ंग से लगा कर तरपाल से ढ़कना।	क्विंटल	24.30
21.	जिन्ड बीज को डिलेण्टिग मशीन पर डालना,डिलेन्टिग बीज को बोरियों में भरना,तोलना, सिलाई करना,मार्का लगाना इत्यादि कार्य।	क्विंटल	20.25
22.	नरमा कपास के डिलेण्टेड बीज तथा देसी कपास के जिन्ड बीज को बोरियों को जिनिंग डिलिण्टिग फैक्टरी परिसर में लोटवाईज उठाकर ट्रक/टॉली में लोड करना व इकाई पर स्थित गोदाम या अन्य निर्दिष्ट स्थान पर परिवहन करना एवं अनलोडिंग करना तथा लोटवाइज केट बिछाकर स्टेक लगाना।	क्विंटल	24.30

23.	अन्य कार्य हेतु जिनिंग फैक्टरी एवं प्लांट पर दैनिक श्रमिक उपलब्ध करना।		सरकारी दर अनुसार
24.	डिलिटिड बिनौला (नरमा/कपास) बीज को प्लांट परिधि मे स्थित गोदाम से उठाकर एलीवेटर में डालना,ग्रेडेड बीज को बोरियों में या 10,20,40 किग्रा. की पैकिग साइज में पैक करना,तोलना,मार्का लगाना,आवश्यकता पड़ने पर दवाई की पुड़िया बनाकर कट्टों में डालना,टैग व लेबल्स तैयार करके लगाना,सिलाई करना,सील लगाना एवं तैयार बीज को मुख्य गोदाम में ले जाकर लोटवाइज स्टैक करना,खाली बोरियों के 50–50के बंडल बनाना व निर्धारित स्थान पर रखना (रॉ सीड पर)।	क्विंटल	20.25
25.	पुनःप्रमाणीकरण हेतु स्टैक तोड़कर बीज के कट्टों को गोदाम से बाहर निकलना,टैग व लेबल तैयार करना तथा आवश्यकता पड़ने पर दवाई की पुड़िया बनाकर डालना,सिलाई करके सील लगाना व वापस गोदाम में स्टैक करना (पैकिंग साईज 10,20,40 किग्रा)	क्विंटल	6.75
26.	पुनः विधायन हेतु बीज के कट्टों/बोरियों को प्लांट परिधि के गोदाम से उठाकर प्लांट पर लाना,मुँह खोलकर टैग/लेबल/दवाई की पुडिया को निकालना एवं शेष कार्य आइटम नं. 9(2) के अनुसार।	क्विंटल	8.10
27.	देसी कपास के रॉ कपास में से पीली फुटी की चुगाई करना,प्राप्त पीली फुटी को तोलना तथा निर्धारित स्थान पर डालना	क्विंटल	135.00
28.	जिनिंग फैक्टरी पर जगह के अभाव में दड़े से बाहर डाले गये कपास की जिनिंग करवाने हेतु पुनः दड़े में डालना व तंगडी से ठीक करना तिरपालों से ढ़कना इत्यादि कार्य।	क्विंटल	13.50
29.	रुई की गाँठों को जिनिंग फैक्टरी से लोट वाइज उठाकर ट्रक/ट्रॉली में लोड करना,प्लांट गोदाम या वेयर हाउस तक परिवहन करना तथा लोट वाइज स्टैक लगाना इत्यादि	क्विंटल	24.30
30.	(अ) रुई की गाँठों को लोटवाइज गोदाम/वेयरहाउस से बाहर निकलना तथा तलापट्टी से तोलकर ट्रक/ट्रॉली में लोड करना।	क्विंटल	6.75
	(ब) रुई की गाँठो को लोटवाइज गोदाम/वेयरहाउस से बाहर निकलना तथा बिना तोले ट्रक/ट्रॉली में लोड करना।	क्विंटल	4.05
	(स) रुई की गाँठों को लोटवाइज गोदाम/वेयरहाउस से बाहर निकलना तथा कांटे पर चढ़ाना तभी तोलना।	क्विंटल	6.75
	(द) कांटे पर तुली हुई गाँठों को उतार कर ट्रक/ट्रॉली में लोड करना।(इसका भुगतान पार्टी द्वारा किया जावेगा।	क्विंटल	4.05
	आलू/प्याज इत्यादि के विधायन एवं पैकिंग हेतु		
31.	आलू /प्याज इत्यादि की हैण्ड पीकिंग के माध्यम से ग्रेड़िग करना, 50–100 किलों की बोरियों में भरना,अण्डरसाइज को बोरियों में भरना,तोलना,स्टैक करना।	क्विंटल	67.50
32.	आलू/प्याज के विधायिता बीज को विधायन केन्द्र से लोट वाइज उठाकर कोल्डस्टोर ले जाकर लोटवाइज अन्दर रखवाना या कोल्ड स्टोर से वापस विधायन केन्द्र पर लेकर तोलना तथा स्टोर में लोट वाइज स्टैक करना।	क्विंटल	10.80

नोट: वे समस्त कार्य जिनके लिये पृथक से बी.एस.आर. में दर निर्धारित नहीं है उन कार्यो को श्रमिक ठेकेदार के माध्यम से बिंदु सं. 12 के अनुसार श्रमिक लेकर पूर्ण किया जावें।

भाग–स

	इकाई का नाम	पता	एस.टी.डी.कोड एवं फोन नं.	मोबाईल नं.
	मुख्यालय	राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर	0141–2227513 0141–2227514	9413385314 9530372317
1	दुर्गापुरा	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. दुर्गापुरा, जयपुर	0141–2550614	9680455921
2	तबीजी (अजमेर)	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. तबीजी (अजमेर)	0145–2440830	9529274379
3	दूनी	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. दूनी, टोंक	01434–235263	9829531933
4	श्रीगंगानगर	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. करनी रोड़, श्रीगंगानगर	0154–2440070	9829597008
5	हनुमानगढ़	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. रावतसर रोड़, हनुमानगढ़ टाऊन	01552–230407	9414514484
6	सूरतगढ़	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. औद्योगिक क्षेत्र, सूरतगढ़	01509–220206	9587490945
7	मोहनगढ़	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. वेयर हाऊस, मोहनगढ़, जैसलमेर	02997–200571	9785109571
8	कोटा	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कारखाना बाग, पुलिस लाईन, कोटा	0744–2326736	9413385317
9	बांरा	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. बांरा	07453–230632	9660648328 9413385329
10	झालावाड़	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. उद्यान विभाग नर्सरी, झालावाड़	07432–211205	9413385332
11	मण्डोर (जोधपुर)	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पस, मण्डोर, जोधपुर	0291–2570692	9680455921
12	सुमेरपुर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. सुमेरपुर	02933–258326	9460105806
13	भरतपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. जी–44/45, बृज औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर	05644–223792	9412285320 9829059229
14	अलवर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. नया बास, अलवर	0144–2701913	7619788906
15	हिंडौन	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. ग्राम पोस्ट–क्यारदा खुर्द, हिंडौन, करौली	07469–230333	7568741865
16	चित्तौड़गढ	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. निंबाहेडा रोड़, चित्तौड़गढ़	01472–241012	9468968727
17	भीलवाड़ा	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कृषि अनुसंधान केंद्र के पास, भीलवाड़ा	01482–264684	9829373111

18	उदयपुर	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. न्यू मंडी यार्ड गोदाम, उदयपुर	0294–2584687	9413385334 9414470812
19	बांसवाड़ा	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कृषि उपज मंडी, ठीकरिया, बांसवाड़ा	02962–257045	9413385325 9001007215
20	श्रीकरणपुर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. करणपुर	01501–227608	9772072274
21	नागौर	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि.	01582–290077	9982688982
22	घस्सू का बांस (सीकर)	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. घस्सू का बांस, तह. लक्ष्मणगढ़ जिला (सीकर)	01572–232001	9799435421
23	ढिंढोल (बस्सी)	संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. तह. बस्सी, जिला–जयपुर (राज.)		9829190613